को पेश हो। [signature]

SDO

01/7/22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/7/22 को पेश हो। [signature]

SDO

13/7/22 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि हण्डू की खातेदारी हेतु दावा हुआ है। जो जेल चला गया, वापिस नहीं आया और भाई का लड़का है। हण्डू मर गया। लड़की को कोई अधिकार नहीं है। हण्डू मर गया या जीवित है जब तक यह साबित नहीं होता तब तक सम्पत्ति का फैसला कैसे हो। Cause of Action Arise नहीं हुआ। पैरा नं. 2 – सिविल कोर्ट से पहले, क्लियर कराये। हण्डू मरा या नहीं, जब तक यह तय नहीं होगा तब तक Cause of Arise नहीं होगा। पैरा नं. 5 में खात, खातेदार है तो कोई पैसी आये। पैरा नं. 3 वाले

1

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

के बारे में है। (1) कहा मार गया
स्म खारिज है (2) कहा मार जया या
नहीं। प्रतिवादी वकील के द्वारा RRT
पेश किया, जिसके अनुसार
2016 - PJ - RRT - P.462 - HC -
कोर्ट के आधार पर नहीं, 2011 -
RRT - Rev B - P721 - full Bench
- प्रावधान नहीं, SC - Judgement -
WLC 2006 - P II - P253 - without
Considering any other materi
दोनों ही कंडीशन में cause of Action
Arise नहीं होता है। इसलिए दावा
खारिज हो। इसके उपरान्त वादी वकील
ने अवगत कराया कि वाद में
तनकी बनाकर ही डिसाइड हो। जब
तक Evidence नहीं आती Cause
of Action बना है। पैरा नं. 8
अनुसार दिनांक 11.6.18 को विवादग्रस्त
भूमि के बाबत मैंने दावा पेश किय

तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम में स्पष्ट है कि 7 वर्ष के बाद यदि कोई लापता है तो प्रथम! मृत माना जायेगा। ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। Issue frame बनेगा, सिविल कोर्ट को ट्रान्सफर हो जायेगा। 207 में ट्रान्सफर करने का पावर है। Application केवल विलम्ब करने के लिए है। मेरा निवेदन राजस्व कोर्ट से ही है। प्रा० पत्र स्वीकृत हो। पुनः प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि Issue बनाकर तय होने को कहां है पर Prime facie लगता है तो कोर्ट कर सकती है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। कानूनी बिन्दु यह है कि हण्डू मर गया या जीवित है। हम यह तय नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट में पहले यह तय हो एवं उत्तराधिकार घोषित हो। उसके बाद दावा करने का अधिकार है। उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रा०पत्र 07R।। स्वीकार

अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

.... बनाम ....

.... नं ....

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रा० पत्र 07R11 स्वीकार किया जाता है। प्रा०पत्र07R11 के स्वीकार होने पर दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद प्रति दफ्तर दाखिल हो।
SDO